न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:– 92/2022 तारीख रजू :– 18.07.2022

पीठासीन अधिकारी :– अमन चौधरी आर.ए.एस.

उनवान

1. बनी पुत्र सुबुद्वि उम्र 60 साल
2. सुरज्ञान पुत्र सुबुद्वि उम्र 57 साल
3. हंसराम पुत्र सुबद्वि उम्र 70 साल
4. मोतीराम पुत्र सुबुद्वि उम्र 65 साल

सभी जाति गुर्जर निवासी डूगापुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1. ज्ञानसिंह उम्र 65 साल
2. तुलसीराम उम्र 70 साल

पिसरान जौहरी जाति गुर्जर निवासी डूगांपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 अभिभाषक प्रार्थी :– श्री सुरेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट
2 अभिभाषक अप्रार्थी :– श्री हंसराम गुर्जर एडवोकेट

निर्णय दिनांकः– 09.02.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है खाता संख्या 122 आराजी खसरा नम्बर 3743 रकबा 0.06 है0 ग्राम डूंगापुरा पंचायत मोरडा तहसील टोडाभीम में स्थित है। जिसमें सायलान 01 लगायत 04 व सायलान 01 लगायत 04 की मा स्व फाबुली पत्नि सुबुद्वि इस प्रकार सभी सायलान का हिस्सा 1/2 के खातेदार काशतकार है। शेष 1/2 हिस्से अन्य सहखातेदार काश्तकार है।

आराजी खाता संख्या 87 के खसरा नम्बर 3738 रकबा 0.23 है0 3739 रकबा 0.17 है0 रकबा 3740 रकबा 0.06 है0 3741 रकबा 0.18 है0, 3742 रकबा 1.06 है0 3777 रकबा 0. 14 है0 3779 रकबा 0.15 है0, 3780 रकबा 0.19 है, 3782 रकबा 0.05 है0 3784 रकबा 0.21 है0 3785 रकबा 0.10 है0 3786 रकबा 0.16 है0, 3786/5039 रकबा 0.01 है0 3887 रकबा 0.04 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 2.75 है ग्राम डुगापुरा तहसील टोडाभीम स्थित है। जिसकी खातेदारी अतरसिंह, जवाहरसिंह, जगदीश, उदयसिंह, पुत्रांन रामचरण, धर्मो पत्नि रामचरण सभी जाति गुर्जर निवासी ग्राम डुगापुरा के नाम है। जिसमे उपरोक्त व्यक्तियों का हिस्सा 1/5 है। उपरोक्त सभी खातेदारों द्वारा दिनांक 09.12.2012 को एक बदलपत्र सायलान की भूमि खसरा नम्बर 1117, 1094

कुल किता 02 कुल रकबा 0.64 है। स्थित ग्राम डूगांपुरा से बदलकर सायलान के सुपुर्द कर दी थी। सायलान ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 1117, 1094 को खातेदार अतरसिह, जवाहरसिंह, जगदीश, उदयसिह पुत्रान रामचरण, धर्मो पत्नि रामचरण सभी जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूगांपुरा को सोंप दी थी। इस प्रकार सायालान व अतरसिंह, जवाहरसिंह, जगदीश, उदयसिंह पुत्रांन रामचरण, धार्मो पत्नि रामचरण सभी जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूंगापुरा ने अपनी भूमि को बदल लिया था। तथा बदल के मुताबिक कब्जा उसी समय प्राप्त कर लिया था। तभी से मुताबिक बदल अपनी भूमि पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। जिस पर आज तक किसी को कोई आपत्ति नहीं हे। तथा गैरसायलान का उक्त भूमि से किसी भी तरह का कोई संबध नहीं है।

खसरा नम्बर 3742 रकबा 1.06 है तथा भूमि खसरा नम्बर 3743 रकबा 0.06 है। आपस में लगे हुए (सटवा) हैं खसरा नम्बर 3742 व 3743 पर सायलान काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि से गैरसायलान या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 3742 के खातेदार अतरसिंह, जवाहरसिंह, जगदीश, उदयसिंह पुत्रांन रामचरण, धार्मो पत्नि रामचरण ने जरिये इकरारनामा सायलान की भूमि खसरा नम्बर 1117, 1094 कुल रकबा 0.64 है0 ग्राम डूगांपुरा के बदले सायलान के सुपुर्द दिनांक 09.12.2009 को की थी। इस प्रकार सायलान भूमि खसरा नम्बर 3743 के बदले सायलान के कब्जे में चली आ रही है। जिस पर खातेदारों को कोई भी किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है।

गैरसायलान लठैत, मुठमर्द, गिरोह बंद राजनैतिक पहुंच रखने वाले पैसे वाले व्यक्ति है। जो पैठ व पहंच की दम पर गरीब व्यक्तियों गैरसायलान को समझाया लेकिन वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। तथा अपनी हठधर्मिता पर कायम है। यदि गैरसायालन अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तथा सायालान को बदेखली कर कब्जा करके पक्का निर्माण कर लिया ताके सालान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसके पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी हुआ है। उपरोक्त खातेदारी की भूमि सायलान के कब्जे काश्त की हे। जिस पर सायलान काबिज है। भूमि खसरा नम्बर 3742, 3743 सायलान के कब्जे काश्त में है। यदि गैरसायलान अपनी गैरकानूनी कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तथा सायलान की भूमि पर कब्जा कर लिया तो सायलान को भारी क्षति उठानी पडेगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार

से सम्भव नहीं हो सकेगी। हाल जमाबन्दी इकरारनामा बदलपत्र दिनांक 09.12.2009 से उपरोक्त खसरा नम्बरान से सायलान का केस प्राइमफेसी पूर्णतः साबित है। तथा सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में है।

प्रार्थना पत्र सायलान व खिलाफ गैरसायालान को इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायालान सायलान की कब्जे काश्त की आराजीयात संख्या 3742, 3743 स्थित ग्राम डूंगापुरा तहसील टोडाभीम से सायलान को बेदखल कर सायलान की कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा नहीं करें। सायलान की आराजी को कृषि से अकृषि में परिवर्तन नहीं करें। आराजी में कोई नींव खोदकर निर्माण नहीं करें। ऐसा कोई कार्य ना तो स्यं करे ना किसी अन्य से करावे जिससे सायलान के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडे। मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है। अप्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता उपस्थित हुये अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 जी0 दी0 व 7 नियम 11 पेश किया। प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 अस्वीकार किया गया एवं 26 नियम 9 स्वीकार कर मौका रिपोर्ट ली गई। जबाब में अधिकतर मद अस्वीकार किये हुये है व विशेष जबाब इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 3742 रकबा 0.06 हैक्टेयर पर सायलान का कभी भी कोई कब्जा काश्त नही रहा हे। ना ही आज है ना ही सायलान के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र में खसरा 3742 का हिस्सा 1/5 के खातेदार अतरसिंह, जवाहरसिंह, जगदीश सिंह, उदयसिंह पिसरान रामचरण जाति गूर्जर निवासी डूंगापुरा से एक तथाकथित फर्जी इकरारनामा से बदल पत्र कराना बताया है। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में दो तारीख दिनांक 09/12/2012 व 09/12/2009 दो इकरारनामों से बदल पत्र किया जाना अंकित किया है। कानून बदल पत्र रजिस्टर्ड होना आवश्यक है तथा सायलान तथाकथित बदल पत्र की दो तारीख 09/12/2012 अंकित की है। वे भी विराधाभासी है। सायलान का उक्त अनरजिस्टर्ड तथकथित बदल पत्र साक्ष्य में गृहण किये जाने योग्य नही है। ना ही उक्त तथाकथित इकरारनामा से कोई अधिकार अर्जित होते हे। ना ही सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में घोषणा की रिलीफ चाही है। सायलान केवल स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश किया है स्थायी निषेधाज्ञा का वद पत्र पेश

किया है। स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना केवल खातेदार ही कर सकता है। इसलिये टाईटल के अभाव में सायलान का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। और खारिज योग्य है।

भूमि खसरा नम्बर 3743 रकबा 0.06 हैक्टेयर जिसमें सायलान के नाम हिस्सा 1/2 की खातेदारी दर्ज हे। सायलान ने उक्त भूमि को गैरसायालन से सम्वत 2010 में बदला कर लिया था और खसरा नम्बर 3743 के हिस्सा 1/2 व खसरा नम्बर 1087 रकबा 0.17 है0 की एवज में गैरसायलान से सायलान ने खसरा नम्बर 3745 रकबा 0.86 है0 में से गैरसायलान का हिस्सा 1/4 सायलान ने ले लिया है तथा तभी से उपरोक्तानुसार सायलान व गैरसायलान काबिज है तथा सायलान ने गैरसायलान से बदले में ली हुई भूमि खसरा नम्बर 3745 रकबा 0.86 है0 के हिस्सा 1/4 पर रिहायश कर ली है। और अब रिहायश करके गैरसायलान को बदले में दी गयी भूमि को खातेदार का नाजायज फायदा उठाकर मुकदमे बाजी का भय दिखाकर छीनना चाहते है। जबकि बदल पत्र के दिन से ही खसरा नम्बर 3743 पर गैरसायलान काबिज है। खसरा नम्बर 3743 गैरसायलान ज्ञानसिंह, तुजसीराम पिसरान जौहरी की नो गह दो पल्ला पाटोर 2 मीटर 5 मीटर बनाकर काबिज है तथा 4 5 मीटर मौके पर सडक बनी हुई इस प्रकार सायलान का उक्त भूमि से कोई सरोकार नही है। ना ही सायलान का कब्जा साबित है। बल्कि फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 20.09.2022 से गैरसायलान का कब्जा साबित है। ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव में सायलान का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। और खारिज होने योग्य है।

विद्वान वकीलो की बहस सुनी उस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः**– प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम डूगापुरा तहसील खसरा नम्बर 3742, 3743 की खातेदारी सायलान के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा स्वंय के पक्ष में वांछित साक्ष्य, दस्तावेज पेश नहीं किये जो उसके पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण को साबित करते है। मामला उभयपक्ष द्वारा जमीन की अदला–बदली को लेकर है जो साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे साबित नहीं होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है।

3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** उपलब्ध अभिलेखों से भी यह प्रतीत नहीं होता है कि निषेधाज्ञा न देने से वादी को ऐसा अपूरणीय नुकसान क्या होगा जिसकी पूर्ति बाद में नहीं की जा सके। अतः न्यायालय की राय में वादी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिये आवश्यक तीनों तथ्य, प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति को सिद्ध करने में असफल रहा है।

आदेश

अतः सायलान एवं गैरसायलान अपनी–अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर काबिज है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 3742, 3743 पर गैरसायलान मकानात बने हुये है और मौके पर मकान बनाकर निवास कर रहे है। ऐसी स्थिति में किसी एक पक्ष को एक/दूसरे पक्ष के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली